रविवारीय

समावेशन और डी-संस्कृतिकरण से ही संभव है ग्राम समृद्धि

डॉ. दिलीप सिंह

20 से 22 अप्रैल 2026 के बीच खरगोन की मेरी यात्रा ने सामाजिक बहिष्करण, आत्महीनता और ग्रामीण विकास के वास्तविक प्रश्नों को एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर दिया. यह अनुभव केवल जाति या पहचान का नहीं था, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक असमानता का था, जो लोगों को अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए मजबूर करती है.

इस दौरान मेरी मुलाकात अनेक ऐसे लोगों से हुई, जो अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय से होने के बावजूद पांडे, चौहान आदि उपनाम का प्रयोग कर रहे थे. यह केवल उपनाम बदलना नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान पाने के लिए अपनाया गया एक प्रतीकात्मक आवरण है. उनके पास न तो भौतिक संपन्नता है, न शैक्षिक पूंजी, न सामाजिक आत्मविश्वास, न सांस्कृतिक प्रभुत्व—ऐसी स्थिति में तथाकथित नव-संस्कृतीकरण उनके लिए ऊँचा दिखने का एक आसान माध्यम बन जाता है. जब व्यक्ति अपनी असल पहचान छिपाता है, तो वह अपनी सामूहिक शक्ति, अपने अधिकार और अपने आत्मविश्वास—तीनों से दूर होता चला जाता है. एक और गंभीर पहलू यह था कि लगभग हर व्यक्ति चाहे वह शिक्षक, सचिव या सरपंच अपने जीवन की कठिनाइयों को छिपाने की कोशिश करते नज़र आए. जब उनसे समस्याओं के बारे में पूछा गया, तो लगभग समान उत्तर मिला—नर्मदा माई की कृपा से सब ठीक है. यह उत्तर आस्था का नहीं, बल्कि पीड़ा को सामान्य मान लेने की

मानसिकता का प्रतीक था. यह वही निष्क्रिय स्वीकृति है, जो वंचना को भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती है. वैश्विक अनुभव भी यही बताते हैं.

अमेरिका में नस्लीय पहचान, भले ही ऐतिहासिक रूप से दमनकारी रही हो, लेकिन वहाँ गरिमा, पहचान छिपाने से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने से आई. भारत के लिए भी यही सीख है—श्रेष्ठता बनाम हीनता और शुद्धता बनाम अशुद्धता जैसे विभाजन तब तक नहीं टूटेंगे, जब तक वंचित समुदाय स्वयं इन मानसिक जंजीरों को नहीं तोड़ेगे तब तक ग्राम समृद्धी नही होगी, भौतिक या आधारभूत संरचना विकास जैसे रेल-रोड टेलीकॉम लोगो को सक्षम कर सकते है पर समृद्ध नही. समृद्ध के लिए सामाजिक आत्मविस्वास और अवसर की समानता पहली शर्त है क्योंकि जन्म किसी व्यक्ति की योग्यता तय नहीं कर सकता.

योग्यता और सम्मान मेहनत और मानवीय मूल्यों से

> अतः सामाजिक समावेशन और आर्थिक न्याय, दोनों को साथ लेकर चलना होगा. एक ओर पहचान छिपाने की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा, दूसरी ओर अवसरों और बाजार संरचनाओं की असमानता को ठीक करना होगा. यदि भारत को एक सच्चा विकसित नागरिक राष्ट्र बनना है, तो उसे सामाजिक समावेशन (असमानताओं को समाप्त करना) और डी-संस्कृतीकरण (अपनी पहचान को छिपाने की विवशता से मुक्ति) ही ग्राम समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते है.

अर्जित की जाति है. यदि समानता को अपनी सोच का हिस्सा बनायेगे और इसे व्यवहार में लाएंगे जैसे संस्थाओं के कामकाज में, नेतृत्व की शैली में और सामाजिक संबंधों में—तो धीरे-धीरे आत्मविश्वास का निर्माण होगा. तब जाकर लोग छिपना छोड़ेंगे, बराबरी से बोलेंगे और भागीदारी करेंगे, तभी लोकतंत्र की वास्तविक ऊर्जा उभरेगी. इसलिए सामाजिक समावेशन कोई कल्याणकारी नारा नहीं, बल्कि ग्राम समृद्धि की बुनियाद है. डी-संस्कृतीकरण, अर्थात नकल के माध्यम से ऊँचा दिखने की बजाय अपनी पहचान को गरिमा के साथ स्वीकार करना, संभावनाओं और अवसरों के बीच की खाई को पाट सकता है. और जब यह होगा, तब समृद्धि केवल आर्थिक नहीं, बल्कि न्याय, आत्मविश्वास और साझा मानवीय गरिमा पर आधारित होगी.

इसी यात्रा के अन्य पहलू- एक महिला सरपंच से हुई मुलाकात ने इस विरोधाभास को और उजागर किया. सरपंच स्वयं अपने संवैधानिक पद और अधिकारों से लगभग अनभिज्ञ थीं. फर्क सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सामाजिक भी था. सरपंच के बच्चे शादी-ब्याह की बारातों में लाइट लगाने जैसे असंगठित श्रम में लगे थे.

प्राइवेट स्कूल वाले बच्चो को सीएम राइज स्कूल मे जाने के लिए ट्रांस्फर सर्टीफिकेट देने मे अन्देखी करते है उनको डर है कि सरकारी स्कूलों मे क्वालिटी ऐजुकेशन मिलने लगेगी तो उनके स्कूल मे एडमीशन के लिऐ कोन आयगा . शाम को घाट पर एक दिलचस्प और आशावान अनुभव भी मिला. एक पार्षद और दो युवा छात्रों से बातचीत हुई. उन्होंने स्वयं को आदिवासी बताते हुए गर्व और आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा, आकांक्षाओं और आगे बढ़ने की इच्छाओं को साझा किया. बातचीत के दौरान एक टिप्पणी उल्लेखनीय थी—यहाँ शिक्षा से अधिक जाति काम करती है; राजनीतिक और आर्थिक दोनों मामलों में. यह कथन बताता है कि केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं, जब तक सामाजिक ढाँचे बराबरी को स्वीकार न करें.

इस यात्रा में किसानों ने एक और संरचनात्मक समस्या की ओर ध्यान दिलाया. सरपंच ने कहा कि पूरे वर्ष खाद्यान्न ऊँचे दामों पर बिकता है, लेकिन जैसे ही फसल कटाई का समय आता है, कीमतें अचानक गिर जाती हैं. जबकि उपभोग तो स्थिर रहता है; माँग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता. फिर कटाई के तुरंत बाद ही कीमतें क्यों गिरती हैं, और मंडी खरीद समाप्त होते ही फिर अचानक क्यों बढ़ जाती हैं

व्यंग्य

बिल लागू करवाने का रामबाण फॉर्मूला...

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

लोकसभा में नारी वंदन आरक्षण संशोधन बिल 2026 दो तिहाई बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका. यानि इस बिल का मिसकैरिज हो गया. यह बात सब को मालूम थी कि इस बिल के साथ यही होगा. वो तो मोदी जी थे जो हाय तौबा मच रहे थे कि सदन में तैंतीस फीसद आसन महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो. अपन को तो पहली से ही पता था कि यह बिल पास नहीं होगा और हुआ भी ऐसा ही. पूरा विपक्ष बोले तो अक्खा इंडिया ब्लाक शुरू से इस बिल के अपोजिशन में था. वो डर रहे थे कि यदि इतनी बड़ी तादाद में सदन में महिलाएं आ गईं तो मर्दों की बोलती बंद हो जाएगी. वो उनकी तरफ देखते ही भूल जाएंगे की उन्हें बोलना क्या था.परंतु अपने पास ऐसा रामबाण फॉर्मूला है कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष सभी महिला आरक्षण के इस फॉर्मूला को तत्काल लागू करने पर तैयार हो जाएंगे. देश में सबसे पहली बार महिलाओं को विधायिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार 1990 में सामने आया था. लेकिन हर बार कोई न कोई विपक्षी दल वैसे ही भांजी मार देता रहा जैसे किसी बेटी की शादी पक्की हो रही हो और कोई नाराज पड़ोसी या कोई रिश्तेदार कानाफूसी कर के रिश्ता होने से पहले ही उसे तुड़वा दे. झ

पिछले तीस सालों से यही चला आ रहा है. हर बार आरक्षण की वधु को हल्दी तेल चढ़ता रहा पर सात फेरों के समय कोई न कोई विघ्न उत्पन्न होता रहा. खैर फिर आया 2023 एक बार फिर महिला आरक्षण बिल रूपी दुल्हन को सजाया गया. हल्दी- तेल चढ़ा, हाथों में मेहंदी रची संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया. लेकिन किस्मत ही खोटी. कुछ बोले बिल रूपी दुल्हन को अभी विदा करो, पर मायके वाले (सत्ता पक्ष) बोले कि गौना 2034 में तबे करेंगे जबे तुम्हारो मकान तनिक बड़ों (परिसीमन) बन जाए. तीन साल बीते ही थे कि मायके वालों को सूझी कि फेरों के बाद मोड़ी को घरे रखवो उचित नहीं है. कछु ऊंच नीच है गई तो समाज में थू-थू होवे में देर नहीं लगेगी. सो 2026 में तय हुई कि मोड़ी को विदा कर दें,तो दूसरों पक्ष रूठ गओ . मोड़ी(महिला आरक्षण ऐसी अभागी की फिर अटक गई. मायके वाले सोच रहे कि हमारी कैसी मति मारी गई थी जो 2034 में विदा कराने की सोची. सही बात तो यह है कि विपक्ष के अधिकतर नेता नहीं चाहते कि संसद में इतनी सारी (33 प्रतिशत)महिलाएं आएं. क्योंकि अधिकांश नेता पत्नि पीड़ित हैं. उन्होंने सोचा वो बेचारे घर पर पहले से ही महिला (पत्नि) की निगरानी में रहते ही हैं सदन में भी फिर इनसे सामना करना होगा. सोचो जो नेता अपनी पार्टी के खुद मालिक हैं यदि उनकी घरवाली या उनकी बाहरवाली उनसे चुनाव में खड़ा करने को कहेंगी तो फ़िर वो मना कैसे कर सकेंगे ? कौन जाने कोई कब एपस्टिन फाइल या मी-टू जैसा कोई मामला सामने आ जाए. एक नेताजी है वे लोकसभा में आए तो पीछे पीछे भाभी जी आ धमकीं. अब सदन में नेताजी की पीठ पर दिन भर आंखें गढ़ाए बैठी रहती हैं. अजीब मुसीबत है नेताजी मस्जिद में गए तो वह भी साथ लग लीं. यही सब सोच समझ कर विपक्ष के नेता नहीं चाहते कि विधायिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिले.

महिला आरक्षण लागू करने की चुल उन नेताओं को ज्यादा है जो अविवाहित हैं. उनका कभी महिलाओं की प्रताड़ना से सामना नहीं हुआ. सबसे पहले इसे देवेगौड़ा जी ने 1996 में पेश किया. फिर अटल जी ये बिल दो बार 1998,1999 में लाने की कोशिश करी पर सफल नहीं हुई. फिर सरदार जी आए उन्हें बताया गया कि यह राजीव जी का सपना था. उन्होंने काफ़ी सोच विचार कर सोचा कि उनके सपने से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है. सपना सपना ही रहने दिया जाए. वैसे भी सरदार जी बड़े अर्थ शास्त्री थे. वह समझ गए कि सपने का क्या अर्थ होता है. राजीव जी भी जानते थे कि यह सपना,सपना ही रहे तो बेहतर है. वह जानते थे कि पत्नि क्या होती है. वह साया होती है. साया तो फिर भी एक बार साथ छोड़ दे पर पत्नि, ऊं हूं. महिला आरक्षण को लागू करवाने का एक रामबाण फॉर्मूला मेरे पास है यदि इसे अपना लिया तो ये हंड्रेड परसेंट कामयाब होगा. वह फॉर्मूला है कि महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ा कर 50 यानि फिफ्टी परसेंट कर दिया जाय. फिफ्टी नेता - फिफ्टी नेती. नेता लोग खुल कर नहीं बोल रहे हैं. फालतू की बहानेबाजी कर रहे होंगे. 67-33 का अनुपात उन्हें नहीं जम रहा होगा. भाई फिफ्टी - फिफ्टी कर दो सब मान जाएंगे.वैसे भी 33- 67 का फॉर्मूला समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. यह 34 पुरुष नेताओं के साथ सरासर ना इंसाफी और झगड़ा बढ़ाने वाला फॉर्मूला है. संविधान भी लिंग भेद की इजाजत नही देता.महिला और पुरुषों को समान अवसर दिया जाना चाहिए.

इस फॉर्मूला से सदन के अनुशासन में भी पर्याप्त वांछित सुधार होगा. ऐसा करने से सदन में आने वाले पुरुष और सदस्यों के मेकओवर में सुधार होगा. उनकी बोलचाल, भाषा के चयन में भी अपेक्षित सुधार होगा. ऐसा करने से संसद भवन और विधानसभाओं के आसपास ब्यूटी पार्लर के रूप में नए रोजगारों का सृजन होगा. जगह -जगह मेन्स और विमेन पार्लर खुल जाएंगे. नेताओं और नेत्रियों के ड्रेसिंग सेंस में सुधार होगा. संसद और विधान मंडलों परिसरों में परफ्यूम की महक दूर दूर तक फैल जाएगी. ऐसा लगेगा जैसे दिन में ही रजनीगंधा और जूही-चमेली महक रही हो. सदन में एक समान लिंगानुपात होने से सदस्य पूरे समय सदन में मौजूद रहेंगे. स्टडी कर के आया करेंगे. समानुपात प्रतिनिधित्व की वजह उनकी वर्किंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी. विधानमंडलों के परिसर गुलजार बने रहेंगे. स्त्री पुरुष में समान समझ बढ़ेगी. बशर्ते मेरा यह मॉडर्न फॉर्मूला सरकार और विपक्ष के नेतागण मान लें. यह तेजी से विकास का यह फार्मूला 50-50 है.

सत्ता और नेताओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता

लक्ष्मण सिंह
पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक

> कई दार्शनिक जैसे Aristotle, Socrates व अन्य ने कहा है कि किसी एक शहर या गांव को एक ही परिवार या व्यक्ति के सहारे नहीं छोड़ना चाहिये अन्यथा उस शहर या गांव की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर समाप्त हो जाता है क्योंकि वह नेता केवल जो उसके ईर्द-गिर्द लोग रहते हैं उनके कहने पर ही चलता है. इसलिये आवश्यक है कि Right to Recall अर्थात चुने हुये प्रतिनिधि का जनता की मांग पर सदस्यता निरस्त करने का कानून होना चाहिये और शासकीय कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता भी होना चाहिये . अगर आप सब सहमत है तो आईये हम देशवासी सब मिलकर आने वाले चुनावों में इस कानून को लागू करने का दबाब राजनीतिक दलों पर बनावें. वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है इसलिये सभी को एकत्रित होकर यह मांग रखनी होगी. वो आपस में फूट डालने का प्रयास भी करेगें परंतु जनता अगर एक हो जाये तो यह भी संभव हो सकता है. आईये हम सब एकजुट होकर इस असंभव कार्यों को संभव बनाये . धन्यवाद जयहिंद

दुनिया के अधिकतर देशों में चाहे, वह एशिया के देश हो, यूरोप के देश हो, पीढ़ियों तक, कई हजार वर्षों तक वहां राजशाही ने और राजशाही प्रथाओं ने राज्य किया है. हमारे भारतवर्ष में भी यही व्यवस्था हजारों वर्ष तक रही और इस प्रथा के परिणाम, दुष्परिणाम दोनों ही हमने देखे और भोगें भी है और भुगते भी है. भारत वर्ष में और एशिया के अधिकतर देशों में प्रजातंत्र की पहली नींव गौतम बुद्ध ने रखी थी. सर्वप्रथम भारत में पंचायतों का गठन गौतम बुद्ध ने किया था जो स्वयं एक राजा के पुत्र थे. कपिलवस्तु एक राज्य था जिसकी सीमायें वर्तमान नेपाल अथवा भारत से लगी हुई है, गौतम बुद्ध के पिता वहां के राजा थे.

शांति, प्रजातंत्र और भाईचारे का संदेश लेकर उन्होंने समूचे वर्तमान एशिया के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जो हमारे हिंदु धर्म के पांखंड के विरूद्ध स्वंय गौतम बुद्ध ने बनाया था और आज संपूर्ण विश्व में यह धर्म फैला हुआ है. उन्होंने यह इसलिये भी बौद्ध धर्म बनाया था ताकि विश्व में तानाशाही न हो और शांति बनी रहे. बहुत हद तक वे सफल भी हुये है और आज तो प्रजातंत्र लगभग दुनिया के प्रत्येक देश में फैल चुका है और विश्व में निरंतर प्रगति और विकास बहुत तेजी से हो रहा है.

भारत, जहां प्रजातंत्र सर्वप्रथम विश्व में आया, आज मुट्ठी भर नेताओं और राजनीतिक दलों के शासकीय व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण कमजोर होता जा रहा है. निर्वाचित हुआ व्यक्ति और सत्ता में बैठा राजनीतिक दल यह समझता है कि वो जो चाहेगा शासकीय तंत्र पर दबाब बना कर करवा लेगा, दुर्भाग्यवंश, ऐसा अधिकतर प्रकरणों में हो भी रहा है. इस पर अकुंश लगाने का समय आ गया है. यह कार्य केवल और केवल भारत की महान जनता ही कर सकती है. कुछ वर्षो पहले एक आवाज, विचार हमने सुने थे कि चुने हुये प्रतिनिधि को अपने पद से वंचित होना होगा Right to Recall अगर वह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो .

दुर्भाग्यवंश यह कानून नहीं बन पाया और हारने के डर से हर पार्टी लगभग 70 प्रतिशत उम्मीदवारों को बदल देती है अगले चुनाव में, परंतु जो पांच वर्ष उसने जनता को परेशान किया है, भ्रष्टाचार किया है उसका नुकसान कौन भरेगा? यह सारी बातें दबा दी जाती है और यही कारण है कि आज देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है. ऐसा कानून बनाना होगा कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है पद पर रहते हुये तो जो आर्थिक क्षति देश को पहुंची है वह उसका दल और वह स्वयं चुका कर पूरा करें. माननीय न्यायालय भी इसे संज्ञान में ले तो और उचित होगा क्योंकि बहुत सारे प्रकरण गंभीर भ्रष्टाचार के वहां लबित रहते हैं.

नेता जहां से चुना जाता है, वहां की लगभग सारी शासकीय संस्थायें उसके ईशारे पर चलती है.. नहीं चलेगी तो उसका मुख्यमंत्री या मंत्री उन कर्मचारियों, अधिकारियों का स्थानान्तरंण करवा देता है जिससे शासकीय तंत्र का मनोबल गिर जाता है हाल ही में पिछोर, शिवपुरी की घटना ने तो सारी हदें पार कर ली है.

पुलवामा हमले का हैंडलर अभी तक गिरफ्तार नहीं

राजीव खण्डेलवाल
(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास)

14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में आरडीएक्स लाने वाला मुख्य हैंडलर (आतंकवादी) की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है. फलत: हमले की पीड़ा अभी पूरी तरह भरी भी नहीं थी कि, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बायसरन घाटी में हुई आतंकी घटना ने देश की आत्मा को एक बार फिर झकझोर दिया. यह हमला केवल निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द पर सीधा प्रहार था. धर्म पूछकर 26 निर्दोषों जिसमें 24 हिंदू, एक ईसाई व एक स्थानीय मुसलमान शामिल थे, की नृशंस हत्या ने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद का असली चेहरा कितना क्रूर और विभाजनकारी है.

घटना के 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई कठोर कदम उठाए-सिंधु जल संधि का निलंबन, अटारी-वाघा सीमा बंद, पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर रोक,वीजा निरस्त कर 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश एवं राजनयिक स्तर पर निष्कासन. ये कदम आग का जवाब आग से देने की नीति का संकेत थे, जिनसे यह संदेश गया कि भारत अब आतंकवाद के प्रति ढुलमुल रवैया नहीं अपनाएगा.आंतरिक स्तर पर, आतंकियों की खोज के लिए ऑपरेशन महादेव और बाहरी मोर्चे पर प्रहार के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए. जहाँ एक ओर घटना के लिए जिम्मेदार मास्टरमाइंड सुलेमान शाह (हाशिम मूसा) सहित तीन आतंकी मार डाले गए. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान को माकूल जवाब देकर सबक सिखाया गया. लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, क्या यह कार्रवाई नौ दिन चले अढ़ाई कोस जैसी तो नहीं रही? क्योंकि बाद के महीनों में भी घटी घटनाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि आतंकवाद की जड़ें अभी पूरी तरह नहीं कटीं.

इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आग लगाकर तमाशा देखने वाले पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया. ऐसी स्थिति में जहां मजबूर पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के लिए मजबूत भारत दबाव डालकर फायदा उठा सकता था. भारत-पाकिस्तान के बीच अचानक युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकन राष्ट्रपति, 5.33 बजे, इसके तुरंत बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री 5.38 को की. वहीं भारत ने उक्त घोषणाओं के बाद 6.30 अर्थात लगभग 27 मिनट बाद घोषणा की. द्विपक्षीय युद्ध विराम के भारत के दावा के विपरीत अमेरिका के युद्ध विराम करवाने के दावे को ट्रम्प द्वारा 27 मिनट पूर्व की गई घोषणा से बल मिलता है?

जहां ट्रम्प ने यह श्रेय लेने का एक बार नहीं लगभग 90 से अधिक बार दावा किया. वहीं भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने इस दावे का खंडन किया. इतने संवेदनशील पर्यटन स्थल पर आतंकी कैसे पहुँचे? क्या खुफिया तंत्र आँखों पर पट्टी बाँधकर बैठा था या संकेतों को नजरअंदाज किया गया? एलओसी पार कर 100-120 किमी तक घुसपैठ और स्थानीय सहयोग. यह केवल बाहरी हमला नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरी का भी संकेत है. क्या इस नेटवर्क की पूरी सच्चाई सामने आई विदेश नीति: अवसर या चूकऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी, उसमें भारत के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत दबाव बनाने का स्वर्णित अवसर था. लेकिन युद्धविराम की घोषणा और उसके श्रेय को लेकर उठे सवाल यह संकेत देते हैं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे जैसी स्थिति बन गई. एक ओर भारत ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएं, जो असफल हो गये. 59 सदस्य सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल 7 डेलिगेशन के रूप में 32 राष्ट्रों व यूरोपीय संघ में भेजा जाकर पाकिस्तान जनित प्रायोजित पहलगाम नृशंस आतंकी घटना के डोजियर प्रस्तुत किए गए. यद्यपि दुनिया भर से उक्त आतंकी घटना की कड़ी आलोचना की गई व श्रंद्धाजलि दी गई. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय संघ, एससीओ, क्वाड, एफएटीएफ, यूएससी आईआरएफ आदि संगठनों ने हमले की निंदा की. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इन 12 महीनों में अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर पाकिस्तान ने अपनी स्थिति में इतना बदलाव लाया कि ईरान-अमेरिका युद्ध से उत्पन्न विश्व के तनाव को शांत करने के लिए दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाने में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका अदा कर शांति दूत बनकर नोबेल पुरस्कार पाने का दावा तक कर डाला. जो भूमिका वास्तव में भारत को अदा करनी चाहिए थी, क्योंकि स्थिति उससे ज्यादा अनुकुल थी. लेकिन यहां हमारी विदेश नीति की असफलता ने भारत से उक्त भूमिका को छीन लिया.

बढ़ते कैंसर मरीजों के उपचार में 'मेक इन इंडिया' बना वरदान

विवेक तिवारी
प्रिंसिपल इनवेस्टर,ट्रूविस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

भारत में जैसे-जैसे कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक त्वरित और कारगर उपचार मुहैया कराना चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है. चिकित्सा क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद भारत विकिरण चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है. हालांकि अब इस दिशा में 'मेक इन इंडिया' के अभियान ने आशा की एक किरण जगाई है. लीनियर एक्सेलेरेटर या LINAC आधुनिक कैंसर विकिरण उपचार के वास्तविक कार्यकर्ता के रूप में सामने आया है. ये डॉक्टरों को शरीर में कहीं भी छिपे कैंसर ट्यूमर को बिना चीरा लगाये अविश्वसनीय सटीकता के साथ हटाने में सहायता करते हैं. ये मशीनें उच्च तीव्रता वाली एक्स-रे या इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न करती हैं,जिन्हें चिकित्सक ट्यूमर को लक्षित करने और आसपास के स्वस्थ ऊतकों की रक्षा के लिए सटीक रूप से आकार देते और नियंत्रित करते हैं. एलआईएनएसी-आधारित उपचार विश्व भर में वयस्क कैंसर मामलों के इलाज की सहायक या पैलिएटिव देखभाल का आधार बनता जा रहा है.यह तकनीक इंटेंसिटी-मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी , वॉल्यूमेट्रिक-मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी और इमेज-गाइडेड रेडिएशन थेरेपी जैसी उन्नत तकनीकों का आधार है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में केवल लगभग 790 उच्च-वोल्टेज यूनिट्स हैं. एलआईएनएसी प्लस कोबाल्ट मशीनें, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत की जनसंख्या और कैंसर बोझ के लिए सुझाई गई संख्या के आधे से थोड़ा अधिक ही हैं.

2023 की जरूरतों की समीक्षा में 554स्थानों पर लगभग 823 मशीनें काम कर रही थीं, उनमें से लगभग दो-तिहाई जगहों पर केवल एक-एक यूनिट ही चल रही है.हालांकि इस उपचार को सभी लोगों तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य है.अधिकांश एलआईएनएसी बड़े शहरों और टियर-1 केंद्रों में निजी सेटअप्स में केंद्रित हैं, जिससे 80 प्रतिशत लोगों को देखभाल के लिए दूर जाना पड़ता है. इसका परिणाम देर से होने वाली शुरुआत, मरीजों द्वारा बीच में छोड़ना और अनावश्यक रूप से बीमारी का बिगड़ना है.यह रूकावट गांवों या छोटे शहरों के उन लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं जो लंबी यात्राओं, आवास आदि का खर्च नहीं उठा सकते.लेकिन अब भारत का %मेक इन इंडिया अभियान इस अंतर को पाटने के लिए स्थानीय स्एलआईएनएसी प्रोडक्ट को गति दे रहा है. इसमें सिद्धार्थ-II जैसे स्वदेशी मॉडलभी हैं, जो अब रोगियों के लिए अनुमोदित हैं और विदेशी मॉडलों के बराबर हैं.

ये स्थानीय यूनिट्स नियमित बाह्य बीम थेरेपी के लिए मध्यम ऊर्जा का उपयोग करती हैं. वे बीम गुणवत्ता, खुराक सटीकता और उपचार सॉफ्टवेयर के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करती हैं. SAMEER (सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च), CSIO, PGI और फंडेड समूहों जैसी टीमें इस प्रयास का नेतृत्व कर रही हैं. विकिरण मशीनों के अलावा, वे 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर जैसे एड-ऑन भी बना रही हैं. लक्ष्य स्पष्ट है. आयात निर्भरता कम करना, नॉलेज शेयर करना और राष्ट्रव्यापी थेरेपी रोलआउट के लिए प्रारंभिक और निरंतर खर्चों को कम करना.मेक इन इंडिया में एलआईएनएसी रोगियों और देखभाल नेटवर्क के लिए चार प्रमुख लाभ हैं. इससे सबसे पहले खरीद और रखरखाव लागत कम होती है, ताकि सार्वजनिक या निजी स्थानों पर समग्र योजनाओं को सस्ता बनाया जा सके और लोगों पर वित्तीय बोझ कम हो. दूसरा, उन्हें भारत में ही बनाना डिलीवरी को तेज करता है और ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्याओं से बचाता है, जिससे सबसे बड़े अंतर वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेजी से मशीनों की स्थापना संभव हो.इसके अलावा, यह स्वदेशी उत्पादन मरम्मतकर्ताओं, तकनीशियनों और पेशेवरों का स्थानीय नेटवर्क विकसित करता है, जो मशीनों की विश्वसनीयता बढ़ाता है और डाउनटाइम कम करता है. ये वहांमहत्वपूर्ण है जहां एक यूनिट एक ही दिन में बड़ी संख्या में रोगियों को संभालती है.

यह भारत की देखभाल प्रणालियों, नियमों और बजटों के अनुरूप एलआईएनएसी के लिए नई प्रगति के लिए स्वदेशी कौशल निर्माण करता है. यह बदलाव भारत को फैंसी थेरेपी तकनीक का शीर्ष खरीदार से क्षेत्र में बजट-अनुकूल, सिद्ध एलआईएनएसी का प्रमुख स्रोत बना सकता है.भारत में बढ़ते कैंसर मामलोंको देखते हुए एलआईएनएसी थेरेपी की व्यापक पहुंच और निष्पक्ष वितरण के लिए प्रयास तत्काल आवश्यक हो गया है. डब्ल्यूएचओ मशीन लक्ष्यों के आधे से कम होने और शहर-ग्रामीण विभाजन के बीच, आयात अकेले पर्याप्त नहीं हैं. स्वदेशी से लेकर सटीक नीतियों और फंडिंग तक मेक इन इंडिया एलआईएनएसी को बढ़ावा देकर, लाखों भारतीय रोगियों को अधिक आसानी से, सस्ते और विश्वसनीय रूप से उपचारात्मक और आरामदायक विकिरण प्रदान कर सकती है.